(वाद सं0.-3683/4/21/2020)

06.09.2021

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, रेणु देवी, को राशन कार्ड दिलाये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, मधुबनी** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **" परिवादी श्रीमती रेणु देवी, पति–राम प्रसाद महतो, ग्राम–करहारा, पो0–चुन्नी, भाया–मधेपुर, जिला–मधुबनी को राशन कार्ड निर्गत कर दिया गया है जिसका राशन कार्ड सं0–10207011002208174014O8 है, तथा उन्हें उक्त राशन कार्ड पर अनाज भी प्राप्त हो रहा है।"**

अब जबकि राज्य आयोग के आदेश के अनुपालन में परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, मधुबनी** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **जिला पदाधिकारी, मधुबनी** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति (अनुलग्नकों सहित) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक